No gross Violation Of Human Rights In India: Rights Panel Chief

https://www.republicworld.com/india-news/general-news/no-gross-violation-of-human-rights-in-india-rights-panel-chief-articleshow.html

Arun Kumar Mishra, chairperson of the NHRC, stated on Saturday (September 17) that there is no "gross violation" of human rights.

Arun Kumar Mishra, chairperson of the National Human Rights Commission of India (NHRC), stated on Saturday (September 17) that there is no "gross violation" of human rights occurring at the moment and that the international community need not be concerned about India's condition.

The NHRC chairperson was alluding to some foreign agencies taking up human rights abuses in India on a global scale.

Wrong to claim Manipur incident led to increase in human rights violations

Mishra further stated that it is incorrect to claim that the "Manipur incident" has led to an increase in human rights violations in the nation” adding that based on data it cannot be said that there is an escalation in the complaints regarding human rights violations in the past three decades.

"Manipur is isolated, an incident where ethnic violence is going on, and as the Human Rights Commission, we have done our duty to ensure that the two groups who were fighting with each other on ethnic issues should not continue too long,” he said.

He also said, “So to say that there is an increase in human rights violations in India based on only the incident of Manipur cannot be said to be the correct state of affairs. I do not find there is any gross violation of human rights taking place at present. And the global community should not be bothered about our situation."

"If we go by our records and the incidents which have taken place in the past three decades, I do not find that it can be said based on data that there is an escalation in the complaints regarding human rights violations in India. Be that as it may, if these reports are based only on the Manipur incident, that cannot be attributed to the human rights situation throughout India,” he said.

No justification for claiming that India’s human rights situation worse

The NHRC chief emphasised that there is no justification for claiming that India's human rights situation is getting worse and further questioned the information that the international agencies have been using.

"Actually, the world has become so smaller. I do not know how they are fed, how they appreciate their reports, and on what basis their assessment is based. But if we see it objectively, there is no reason to say that the human rights situation in India is deteriorating or has deteriorated or there is a violation,” said Mishra.

He emphasised that the Human Rights Commission exists because human rights violations can occur anywhere, in any nation, and that the world community must band together to address these problems.

"These are the incidents of violation which are common in every country. We are receiving those complaints which must be common in every country. Human rights violations can take place everywhere in every country. That's why the Human Rights Commission exists. This is a situation and the world community has to come together to solve these things. And if we say that it is singly happening in India, it's not correct," he said.

NHRC Chairman Justice Arun Mishra In Conversation With Nikunj Garg | MRN Exclusive

https://www.timesnownews.com/videos/mirror-now/interviews/nhrc-chairman-justice-arun-mishra-in-conversation-with-nikunj-garg-mrn-exclusive-video-103731847

In an exclusive interview, Mirror Now Managing Editor Nikunj Garg met with NHRC Chairman Arun Mishra. During the debate, he mentioned politics in constitutional bodies, saying, "Statutory bodies cannot be used for political gain." He also argued that statutory organisations such as the NHRC are becoming increasingly politicised. "You cannot see us through a political prism," he said, adding, "we do no politics, only rights for the poor." He also talked about other major difficulties such as the problem of climate change and how we are going to tackle it. Watch!Stay tuned to Mirror Now for more information.#arunmishra #nhrc #nikunjgarg #exclusiveinterview #latestnews #mirrornowexclusive

Odisha: शिक्षकों के आंदोलन के चलते छात्रों की पढ़ाई ठप, करीब दो लाख शिक्षक सड़कों पर, 40 लाख छात्र प्रभावित

https://www.jagran.com/odisha/cuttack-odisha-teachers-strike-childrens-education-stalled-due-to-teachers-agitation-above-2-lakh-teachers-on-the-streets-education-of-40-lakh-students-affected-case-in-nhrc-23532536.html

ओडिशा में पिछले 8 सितंबर से पूरे राज्य भर में लगभग 1 लाख 30 हज़ार से अधिक टीचर्स अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। अब इस आंदोलन को लेकर न्याय के लिए लड़ाई नामक संगठन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानि एनएचआरसी में एक याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई करने का दवाब डाला जा रहा है।

संवाद सूत्र, कटक। राज्य में चलने वाली शिक्षक आंदोलन के चलते लाखों छात्र-छात्राओं का भविष्य बिगड़ रहा है। उनकी पढ़ाई पर इस आंदोलन के चलते खासा असर पड़ रहा है। यह दर्शाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानि एनएचआरसी में एक याचिका दायर की गई है।

"न्याय के लिए लड़ाई " संगठन के राज्य अध्यक्ष सुब्रत कुमार दास की ओर से यह याचिका दायर की गई है। जिसमें यह दर्शाया गया है कि राज्य के लगभग 1 लाख 30 हज़ार प्राथमिक शिक्षक और शिक्षिका पिछले विभिन्न मांगों को लेकर कुछ दिनों से आंदोलन चला रहे हैं।

8 तारीख से 1 लाख 30 हज़ार से अधिक धरने पर

राज्य सरकार के पास 5 दफाओं वाली मांगों को लेकर वह आंदोलन छेड़े हुए हैं। यह मांगे पूरा न होने के चलते सितंबर 8 तारीख से पूरे राज्य भर में लगभग 1 लाख 30 हज़ार से अधिक शिक्षक-शिक्षिका धरना पर बैठे हैं ।

जिसके चलते पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है। इसके द्वारा राज्य के लगभग 40 लाख छात्र-छात्राएं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। राज्य सरकार शिक्षकों की मांग को विचार में लेने के बजाय शिक्षक-शिक्षिकाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए दवाब डाल रहे हैं और उन्हें धमका रहे।

एनएचआरसी से हस्तक्षेप करने हुई मांग

ऐसे में शिक्षकों का आंदोलन राज्य भर में और तेज होने लगा है। इस मुद्दे पर एनएचआरसी (NHRC) को हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई करने के लिए आवेदनकर्त्ता की ओर से निवेदन किया गया है। छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो उसको सुनिश्चित किया जाए उसके लिए एनएचआरसी ठोस कदम उठाए ऐसी याचिका दायर की गई है।

हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला NHRC और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

https://legendnews.in/single-post?s=case-of-lathi-charge-on-lawyers-in-hapur-reached-nhrc-and-supreme-court-12094

अलीगढ़। हापुड़ में बीते दिनों पुलिस द्वारा महिला व पुरुष अधिवक्ताओं पर किए गए बर्बर लाठी चार्ज व अधिवक्ता समुदाय को सीओ हापुड़ अशोक कुमार सिसोदिया द्वारा दी गई गंदी व अश्लील गालियों का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली में दर्ज हो चुका है केस नंबर जारी हो चुका है और देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस संदर्भ में एक जनहित याचिका भी भेजी गई है।

अलीगढ़ के युवा अधिवक्ता प्रतीक चौधरी एडवोकेट ने हापुड़ पुलिस की इस बर्बरता के विरोध में यह कार्रवाई की

प्रतीक चौधरी एडवोकेट ने बताया कि 29 अगस्त 2023 को जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश में पुलिस के अधिकारियों एवम कर्मचारियों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे महिला व पुरुष अधिवक्तागण को बर्बरता पूर्वक लाठी डंडों से पीटना व पूरे अधिवक्ता समुदाय को गंदी व अश्लील गालियां देकर मानहानि करना और इस घटना के वीडियो फोटो सोशल मीडिया , इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के जरिए वायरल होने के बाद भी मुख्य सचिव , डीजीपी का आदि अधिकारीगण व पुलिस कर्मियों पर कोई कार्यवाही ना किए जाने से आहत होकर मैंने 16 सितंबर 23 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इस मामले में वाद दर्ज कराया है। इसका डायरी नंबर 15241/IN/2023 है।

प्रतीक चौधरी एडवोकेट के अनुसार चूंकि ये मामला संविधान के मूलाधिकारों से जुड़ा है इस लिए संविधान व मूलाधिकारों के संरक्षक मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में जनहित याचिका भेजी गई है। हापुड़ पुलिस के द्वारा संविधान के मूल अधिकारअनु0 19 (1) और अनु0 21 का सीधे-सीधे अतिलंघन किया गया गया है।

प्रतीक चौधरी एडवोकेट ने मांग की है कि मामले का संज्ञान लेते हुए हापुड़ पुलिस प्रशासन, पुलिस उपाधीक्षक/सीओ अशोक कुमार सिसोदिया व घटना के जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर ,दरोगा और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भारतीय संविधान से प्राप्त मूल अधिकार अनु0 19 (1) का सामूहिक रूप से अतिलंघन करने व पूरे देश के अधिवक्ताओं को सामूहिक रूप से गंदी-गंदी अश्लील गालियां देने के लिए कठोर कार्यवाही करें और अधिवक्तागण के मूल अधिकार एवम पूरे देश के अधिवक्ता गण के मान सम्मान की रक्षा करें।

भारत में मानवाधिकारों का कोई 'घोर उल्लंघन नहीं: अधिकार पैनल प्रमुख

https://jantaserishta.com/local/chhattisgarh/there-is-a-possibility-of-drizzle-in-delhi-today-2820940?infinitescroll=1

नई दिल्ली : भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा ने शनिवार (17 सितंबर) को कहा कि फिलहाल मानवाधिकारों का कोई "घोर उल्लंघन" नहीं हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भारत के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। स्थिति।एनएचआरसी अध्यक्ष का इशारा कुछ विदेशी एजेंसियों द्वारा भारत में मानवाधिकारों के हनन को वैश्विक स्तर पर उठाने की ओर था। यह दावा करना गलत है कि मणिपुर की घटना के कारण मानवाधिकार उल्लंघन में वृद्धि हुई

मिश्रा ने आगे कहा कि यह दावा करना गलत है कि "मणिपुर घटना" के कारण देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों में वृद्धि हुई है। पिछले तीन दशक.उन्होंने कहा, "मणिपुर अलग-थलग है, एक ऐसी घटना जहां जातीय हिंसा चल रही है और मानवाधिकार आयोग के रूप में, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना कर्तव्य निभाया है कि जो दो समूह जातीय मुद्दों पर एक-दूसरे से लड़ रहे थे, वे लंबे समय तक जारी न रहें।" .

उन्होंने यह भी कहा, “इसलिए केवल मणिपुर की घटना के आधार पर यह कहना कि भारत में मानवाधिकार उल्लंघन में वृद्धि हुई है, सही स्थिति नहीं कही जा सकती। मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में मानवाधिकारों का कोई घोर उल्लंघन हो रहा है। और वैश्विक समुदाय को हमारी स्थिति के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए।” "अगर हम अपने रिकॉर्ड और पिछले तीन दशकों में हुई घटनाओं पर गौर करें, तो मुझे नहीं लगता कि आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों में वृद्धि हुई है। वैसे भी यदि ये रिपोर्टें केवल मणिपुर की घटना पर आधारित हैं, तो इसे पूरे भारत में मानवाधिकार की स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, ”उन्होंने कहा।

यह दावा करने का कोई औचित्य नहीं है कि भारत में मानवाधिकार की स्थिति बदतर हैएनएचआरसी प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि यह दावा करने का कोई औचित्य नहीं है कि भारत की मानवाधिकार स्थिति खराब हो रही है और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा उपयोग की जा रही जानकारी पर भी सवाल उठाया।"दरअसल, दुनिया बहुत छोटी हो गई है। मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे खाना खिलाया जाता है, वे उनकी रिपोर्टों की सराहना कैसे करते हैं और उनका मूल्यांकन किस आधार पर होता है। लेकिन अगर हम इसे निष्पक्ष रूप से देखें, तो यह कहने का कोई कारण नहीं है कि मानव भारत में अधिकारों की स्थिति खराब हो रही है या बिगड़ गई है या उल्लंघन हो रहा है, ”मिश्रा ने कहा।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में है क्योंकि मानवाधिकारों का उल्लंघन कहीं भी, किसी भी देश में हो सकता है, और विश्व समुदाय को इन समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होना चाहिए।"ये उल्लंघन की घटनाएं हैं जो हर देश में आम हैं। हमें वो शिकायतें मिल रही हैं जो हर देश में आम होनी चाहिए। मानवाधिकारों का उल्लंघन हर देश में हर जगह हो सकता है। इसीलिए मानवाधिकार आयोग मौजूद है। ये एक स्थिति है।" और विश्व समुदाय को इन चीजों को हल करने के लिए एक साथ आना होगा। और अगर हम कहते हैं कि यह अकेले भारत में हो रहा है, तो यह सही नहीं है, ”उन्होंने कहा।